फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

श्रीकांत सोलंकी वगैरह बनाम शैतानसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा .....225.आर.टी.एक्ट. राजस्व अपील संख्या..91....सन 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
01.06.2023	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2018 बउनवान शैतानसिंह बनाम भूरसिंह वगैरह मे पारित आदेश दिनांक 18.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकरण मे स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण संख्या 01 लगायत 04 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जालोर बी खसरा नंबर 6499/6463, 6497/6494, 6498/6494 के संबध में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने के निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी के खसरा नंबर 6499/6463 रकबा 1.88 हैक्टेर मे अपीलांट संख्या 01 किशोर कुमार का 17/2350 व जेठमल का 93/9400 एवं अपीलांट संख्या 02 सुरेश कुमार जैन का 139/18800 वा हिस्सा निहित है। उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण ने रेकर्डेड खातेदार·	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

भूरसिंह पुत्र खीमसिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख खरीद की गई है। उक्त बेचान दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय जालोर मे दिनांक 11.04.2011 मे पंजीबद्ध है। उक्त वक्त खरीद से वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट के नाम से दर्ज है। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध एकपक्षीय जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जैर अपील आदेश की आड मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी मे दखलदांजी करने पर आमदा है, अगर वे ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना, प्रभाव व क्रियान्विति स्थगित की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्टगण संख्या 01 लगायत 04 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जालोर बी खसरा नंबर 6499/6463, 6497/6494, 6498/6494 के संबध में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने के निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबध मे अंतिम चौसाला आधार संवत 2071 से 2074 जमाबंदी 2076 प्रस्तुत की गई है। उक्त जमाबंदी अनुसार वादग्रस्त आराजी के खसरा नंबर 6499/6463 रकबा 1.88 हैक्टेर मे अपीलांट संख्या 01 किशोर कुमार का 17/2350 व जेठमल का 93/9400 एवं अपीलांट संख्या 02 सुरेश कुमार जैन का 139/18800 वा हिस्सा निहित है। उक्त आराजी अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का उपरोक्त हिस्सा अपीलांटगण के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय द्वारा एक पक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 18.01.2018 पारित कर वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति को यथावत बनाये रखने के आदेश जारी किए। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ से ज्ञात होता है कि दिनांक 18.01.2018 को पारित अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश के बाद दिनांक 29.03.2023 तक पत्रावली तलबी में ही विचाराधीन है। प्रकरण मे लगभग 05 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी पत्रावली में तलवी नही होने, एवं एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पक्षकारों को अनावश्यक परेशानियो का सामना करना पड़ता है, जबकि आदेश 39 नियम 3(क) सी. पी. सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय को 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए। उक्त नियम हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। अतः हस्तगत प्रकरण में अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी एवं आदेश 39 नियम 03 सी.पी.सी के प्रावधानो के आधार पर सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2018 बउनवान शैतानसिंह बनाम भूरसिंह वगैरह मे पारित आदेश दिनांक 18.01.2018 को वादग्रस्त आराजी मे अपीलांटगण के हक–हिस्से अनुसार खसरा नंबर 6499/6463 रकबा 1.88 हैक्टेर मे अपीलांट संख्या 01 किशोर कुमार का

राजस्व अपील प्राधिकारी

17/2350 व जेठमल का 93/9400 एवं अपीलांट संख्या 02 सुरेश कुमार जैन का 139/18800 वा हिस्से तक अपास्त किया जाता है। तद्नुसार सहायक कलेक्टर जालोर को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2018 बउनवान शैतानसिंह बनाम भूरसिंह वगैरह के अन्तर्गत उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 02 माह के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली